न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 02/2016

दायर दिनांकः 16.08.2016

निर्णय दिनांक 12.12.2017

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, आमेट तहसील आमेट
जिला राजसमन्द

प्रार्थी

—:बनामः—

1. श्री देवकिशन पुत्र भूरालाल कलाल निवासी सरदारगढ तहसील आमेट
2. श्री सुदर्शन पुत्र बद्रीदास वैष्णव निवासी सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश) 1976, केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज एण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलींग प्राईज) आदेश 1993 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2001 के तहत अधिग्रहित केरोसीन 400 लीटर मय जरीकेन जो वाहन संख्या आर0जे0 27 यू0बी0 5163 ओमनी वैन मे भरा है उसे मय वाहन राजसात (Conficate) करने बाबत।

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार प्रार्थी
2— अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांकः 30.08.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 30.07.2016 को प्रातः 11.30 तहसीलदार, आमेट द्वारा यह सूचना दी कि उनके द्वारा एक ओमनी वैन संख्या आर0जे0 27 यू0बी0 5163 मे अवैध रूप से केरोसीन का परिवहन कर कालाबाजारी हेतु ले जाने की शंका पर वाहन को पुलिस थाना आमेट मे रखवाया गया, जिस पर मै स्वयं पुलिस थाना आमेट पहूॅचा एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना आमेट की उपस्थिति मे लॉक्ड वाहन को खुलवा कर वाहन की जांच की गई, जिसमें 50 लीटर क्षमता के 08 प्लास्टिक जरीकेनों में 400 लीटर द्रव्य पदार्थ पाया गया, जिस पर ड्रम से द्रव्य पदार्थ को निकाल कर, देखकर, सुंघने पर उक्त द्रव्य नीला केरोसीन होने की पुष्टि की गई। इस पर मेरे द्वारा वाहन चालक श्री देवकिशन से उक्त केरोसीन के बारे में पूछताछ की गई, जिस पर श्री देवकिशन ने बताया कि उसने वक्त केरोसीन श्री रामलाल, उचित मूल्य दुकानदार आगरिया तहसील आमेट से प्राप्त किया है, जिस पर मेरे द्वारा श्री रामलाल उचित मूल्य दुकानदार आगरिया तहसील आमेट की दुकान पर जांच की गई, जिसमें केरोसीन के प्रारम्भिक स्टॉक, वितरित मात्रा एवं अन्तिम स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, भौतिक सत्यापन करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई एवं मौके पर कोई गवाह भी श्री रामलाल के विरूद्ध नहीं पाये गये। वक्त निरीक्षण वाहन में रखे दस्तावेजो की जांच की गई, दस्तावेजों के आधार पर उक्त वाहन श्री सुदर्शन वैष्णव पुत्र श्री बद्रीप्रसाद वैष्णव के नाम से रजिस्ट्रेशन पाया गया। मौके पर जब्तशुदा वाहन ओमनी वैन संख्या आर0जे027 यू0बी0 5163 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, आमेट की सुपुर्दगी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 165/16 के साथ जब्जशुदा 400 लीटर नीले केरोसीन मय 08 जरिकेन को श्री प्रकाशचन्द्र खटीक, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड, 15, 16 नगरपालिका आमेट को सुपुर्दगी में देकर सुपुर्दगीनामा बनाकर, पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। श्री देवकिशन कलाल, वाहन चालक एवं श्री सुदर्शन वैष्णव वाहन मालिक का उक्त कृत्य केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज एण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलींग प्राईज) आदेश 1993 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2001 का स्पष्ट उल्लघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 8 का भी उल्लघन है, जो इसी आदेश की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है अतः अनुरोध है कि

उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या एवं 08 प्लास्टिक जरीकेनो में सुरक्षित 400 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थीगण नियत पेशी दिनांकः 13.10.2016 को उपस्थित हुए। किन्तु नियत पेशी दिनांकः 16.11.2017 को न तो अप्रार्थी एवं न ही उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पेरोकार सरकार की मेरिट पर बहस सुनी गयी। पेरोकार सरकार ने अपने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एक ओमनी वैन संख्या आर0जे0 27 यू0बी0 5163 में अवैध रुप से 08 प्लास्टिक जरीकेनों में 400 लीटर नीले केरोसीन को ले जाया जा रहा था,जिसके सम्बंध में अप्रार्थी के पास कोई वैध लाईसेंस भी नहीं था और अप्रार्थी इसके परिवहन के संबंध में कोई ठोस एवं संतोषप्रद जवाब भी नहीं दे पाया। उक्त नीला केरोसीन कालाबाजारी की नियत से अवैध रुप से परिवहन किया जाना पाये जाने पर मय वाहन के उक्त नीला केरोसीन जब्त सरकार किया गया। अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को मा0 ज्यूडिसल कोर्ट से छुड़वा लिया हैं। अतः अप्रार्थी से 08 जरीकेनों में भरा हुआ 400 लीटर जब्तशुदा नीला केरोसीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस पर गहन मनन् किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से परिवहन कर ले जाये जा रहे 08 प्लास्टिक जरीकेनों में भरा हुआ 400 लीटर नीला केरोसीन की निरीक्षण दल रसद द्वारा की गयी जांच में कालाबाजारी की नियत से अवैध रुप से ले जाया जाना पाया गया और उक्त नीला केरोसीन मय जरीकेन के जब्त सरकार किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए और अप्रार्थी की ओर से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के खण्डन में न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश किया गया, जो कि स्वयं अप्रार्थी का दायित्व हैं। इससे यह स्पष्ट हैं कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को कुछ नहीं कहना हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हैं कि अप्रार्थी द्वारा उक्त नीला केरोसीन का अवैध रुप से परिवहन कालाबाजारी की नियत से किया जा रहा था जो कि केरोसीन(रेस्ट्रीक्सन ऑन युज एण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलींग प्राईज) आदेश 1993 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2001 का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 का भी उल्लंघन हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा 08 जरीकेन में भरा हुआ नीला केरोसीन राजसात किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से 08 जरीकेन में भरा हुआ 400 लीटर जब्तशुदा नीला केरोसीन को राजसात किया जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी,राजसमंद को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त जब्तशुदा नीला केरोसीन मय 08 जरीकेन का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराई जावें।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।